न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 12/2021 बउनवानी काशी सिंह राजपूत बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
09.04.2021	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.12.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. श्रीमान नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/319 दिनांक 21.9.2020 जॉच रिपोर्ट हल्का पटवारी से करवायी उसकी सत्यप्रतिलिपि एवं किस आधार पर जॉच करवायी गयी उसकी सत्यप्रतिलिपि एवं हल्का पटवारी का सरनाम हिन्दी मे दिलावे।
2. हल्का पटवारी द्वारा की गयी मौके की गयी जॉच दिनांक एवं एक तरफा जॉच का नियम की सत्य जानकारी दिलावें।
3. जॉच रिपोर्ट एक तरफा मे कृषि भूमि के रास्ते में मिटटी भरवाने से आम लोगों को फायदा बताया है इस रास्ते ख0न0 281 मे भराई गयी मिटटी को तहसीलदार पर किस आधार पर सही बतायी जा रही है की सत्य जानकारी दिलावे।
4. कृषि भूमि के रास्ता में विकास की सरकार द्वारा जारी की गयी गाईड लाईन एवं नियम की छायाप्रति दिलावें
5. ग्राम पंचायत द्वारा उक्त रास्ता गै.मु. खसरा नम्बर 281 मे भराई गयी मिटटी को तहसील स्तर पर किस आधार पर सही बताई जा रही है की सत्य जानकारी देवे।
6. रास्ता ख0न0 281 से समस्या की परिवेदना प्रार्थी ने की थी जिसपर मौके पर जॉच कर्ताओं ने परिवेदना किस नियम से नही सुनी उस नियम की छायाप्रति व फरियादी को सुने बिना जॉच रिपोर्ट तैयार की जा सकती है दिलावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक सू.का.अ./2021/38 दिनांक 10.3.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रस्तुत अपील के संबंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 23.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय मे आना नही पाया गया है किन्तु अपील नोटिस के साथ प्राप्त प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 1,2,3 पर चाही गयी सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 37 दिनांक 10.3.2021 से भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 4,5,6 पर चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.12.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र यद्यपि तहसील गंगापुर सिटी के कार्यालय को तत्समय प्राप्त नही हुआ था किन्तु उक्त अपील नोटिस के साथ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3 पर चाही गयी सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 37 दिनांक 10.3.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दु संख्या 4,5,6 पर चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:23:58 IST
Reason: SelfAttested